

# कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/हिनी/28232/अक्षेप/2021-22

दिनांक: 20/12/2021

समस्त संयुक्त निदेशक

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा)

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा)

समस्त प्राचार्य डाईट

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षायें

विषय:- कोरोना पॉजिटिव होने के दौरान शिक्षा विभागीय कार्मिक की मृत्यु होने पर 1.50 लाख रूपये की अतिरिक्त सहायता राशि हितकारी निधि से प्रदान करने बाबत।

संदर्भ:- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 28.06.2021

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार लेख है कि संदर्भित आदेश जारी कर Covid-19 Phase II में कोरोना पॉजिटिव होने के दौरान शिक्षा विभाग माध्यमिक/प्रारंभिक विभाग के कार्मिक कि मृत्यु होने पर हितकारी निधि से दिये जाने वाली राशि 1.50 लाख के अलावा 1.50 लाख अतिरिक्त सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया था। चूंकी अब Covid-19 Phase II समाप्त प्रायः है तथा नये प्रकरण भी प्राप्त नहीं हो रहे है एवं निधि के कोष कि स्थिति के मध्यनजर Covid-19 Phase II में जिन कार्मिकों कि मृत्यु कोरोना के दौरान हुई है, से संबंधित प्रकरण 31.12.2021 तक ही मान्य होंगे, इसके पश्चात प्राप्त प्रकरणों पर अतिरिक्त सहायता राशि दैय नहीं होगी।

(दयाशंकर अरड़ावतिया)

उप निदेशक (प्रशासन)

एवं सचिव हितकारी निधि

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निदेशक, समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
6. प्रधानाचार्य, सार्टुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
7. संपादक शिविरा पत्रिका।
8. संयुक्त निदेशक कम्प्यूटर (कार्यालय हाजा) को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेब-साईट एवं शालादर्पण/शाला दर्शन पर अपलोड करने बाबत।

(दयाशंकर अरड़ावतिया)

उप निदेशक (प्रशासन)

एवं सचिव हितकारी निधि

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर